

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR**

Endorsement No. B/8412.../  
II-4-1/2010

Jabalpur, dated 22/11/2023

Copy of the notification of the Government of M.P. F.No. 5346/21-B(1)/2023; Bhopal dated 09.11.2023, issued in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act; 2015, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges; All in the State for information and necessary action;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

  
(SANTOSH PRASAD SHUKLA)  
REGISTRAR District Establishment

# मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक /11/2023

फा0 क्र0 5346/21-ब(एक) /2023- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र17(ई)17/2016/इक्कीस-ब(एक)-1888-19, दिनांक 02 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3क के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे सारणी के कॉलम (3) में दर्शित न्यायिक अधिकारी को **जिला न्यायाधीश स्तर** पर, उसके कॉलम (2) में दर्शित जिला एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में **नियुक्त** करता है, अर्थात्:-

### सारणी

क्र.	जिला	न्यायाधीश - जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"1.	इन्दौर	डॉ. लखन लाल गोस्वामी, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर "

F.NO.5346/XXI-B(1)/2023- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this department's Notification No. F.No.17(E)/17/2016-XXI-B (1)/1888-19 dated 2nd April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 2019 issued under section 3A of the said Act, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby **designate** the Judicial Officer at District Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it, to be a Judge of Commercial Appellate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :-

//2//  
TABLE

S.No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Dr. Lakhan Lal Goswami, VII District & Additional Sessions Judge, Indore."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( उमेश पाण्डव )

सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 5346/21-ब(एक) /2023  
प्रतिलिपि:-


भोपाल, दिनांक 09/11/2023

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/5651, दिनांक 20.09.2023 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर, (म० प्र०)
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
09/11/2023

( राघवेंद्र भारद्वाज )  
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग



DAA  
20-11-

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 09/11/2023

फा0 क्र0 5346/21-ब(एक) /2023- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-19, दिनांक 02 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दर्शित न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम (2) में दर्शित जिले एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनु.क्र.	जिला	न्यायाधीश- जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"1.	इन्दौर	डॉ. लखन लाल गोस्वामी, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर "

F.NO.5346/XXI-B(1)/2023- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this Department's Notification No. F.No.17(E) 17-2016-XXI-B (1) 1888/2019 dated 02<sup>nd</sup> April, 2019, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12<sup>th</sup> April, 2019 issued under section 3 (1) & (2) of Commercial Court, Act 2015 (No. 4 of 2016), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, **under sub sec. (3) of Sec. 3 of said Act** appoints the Judicial Officer at District Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2) thereof and Districts falling under it, to be a Judge, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :-



## TABLE

S.No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Dr. Lakhan Lal Goswami, VII District & Additional Sessions Judge, Indore."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(उमेश पोण्डेकर)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 5346/21-ब(एक) /2023  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 09/11/2023

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/5651, दिनांक 20.09.2023 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर, (म० प्र०)
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(राघवेंद्र भारद्वाज)  
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

06